सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-409/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 04 अक्टूबर 2020**

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>थाना कोतवाली</u>

<u>अबैध तरीके से रखे 03 लाइसेंसी असलहों व स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व प्रभारी स्वाट टीम के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधीयो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हु ई कि गैंगेस्टर कोर्ट के पश्चिमी छोर गेट पर दो व्यक्ति अबैध तरिके से लाइसेंसी शस्त्र लिए हुए है। जिसके क्रम में -
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के0के0 गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मड़या जाने वाले रोड पर गैगेंस्टर कोर्ट पश्चिमी छोर गेट के पास बिना नम्बर की खड़ी कार में दो व्यक्तियो से पूछ-ताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि जो असलहा उनके पास है उसका लाइसेंस किसी और के नाम है विना लाइसेंस के ही लेकर घूम रहे है। उक्त कृत्य के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 268/2020 धारा 3/25/30 A. Act. थाना कोतवाली आजमगढ़ बनाम 1.अरूण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव सा0 एकडंगी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ 2. मुलायम यादव पुत्र सत्यराम सा0 कोयलसा एकडंगी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तों के पास से दो अदद 12 बोर पम्प एक्सन गन व 10 अदद जिन्दा कारतूस व 1 अदद .30 बोर पिस्टल व 7.62 बोर जिन्दा कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्तों के कब्जे से बरामद कार जिसका कोई कागजात नही दिखाने के कारण थाना स्थानीय पर लाकर MV Act. की धारा में सीज किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u> –

1. अरूण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव सा0 एकडंगी थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. मुलायम यादव पुत्र सत्यराम सा0 कोयलसा एकडंगी थाना कप्तानगंज आजमगढ़

<u>बरामदगी</u> –

1. दो अदद 12 बोर पम्प एक्सन गन व 10 अदद जिन्दा कारतूस व 1 अदद .30 बोर पिस्टल व 7.62 बोर जिन्दा कारतूस

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण—</u>

1. मु0अ0सं0 – 268/2020 धारा 3/25/30 A. Act. थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –</u>

1. कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली , आजमगढ़
2. गजानन्द चौबे प्रभारी स्वाट टीम II, आजमगढ़
3. शमशेर यादव , वरिष्ठ उ0नि0, थाना कोतवाली, आजमगढ़